

मुकदमों का विवरण

चंद्र प्रताप सिंह बनाम.

एम. पी. का राज्य

(2011 की आपराधिक अपील सं. 1209) अक्टूबर 09, 2023

[अभय एस. ओका और पंकज मिठल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय को यू/एस के तहत आरोप में बदलाव करने में न्यायसंगत ठहराया गया था। 302 एसएस के साथ पढ़ें। 148 और/या यू/एस शुल्क के लिए 149। 302/34 भारतीय दंड संहिता सी., और दंडनीय यू/एस 302/34 और यू/एस. के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराना और सजा सुनाना। 201 भारतीय दंड संहिता .

दंड संहिता, **1860-एस. एस. 302** आरडब्ल्यू एस। **34, 201** - हत्या-सामान्य इरादा-सबूतों के गायब होने का कारण बनना, या जाँच के लिए गलत जानकारी देना-अभियुक्त व्यक्तियों को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराना। **302** आरडब्ल्यू एसएस। **148** और **149** और एस। **201** और तदनुसार सजा सुनाई गई, ट्रिपल हत्या करने के लिए-उच्च न्यायालय ने उनमें से तीन को बरी कर दिया और शेष के संबंध में एस के साथ उनकी दोषसिद्धि को प्रतिस्थापित किया। **302/34**, यू/एस को दृढ़ विश्वास बनाए रखते हुए। **201** - सटीकता:

आयोजित किया गया: अभियोग यू/एस में परिवर्तन करके अपीलार्थी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करना। 302 एसएस के साथ पढ़ें। 148 और/या यू/एस शुल्क के लिए 149। 302/34 अभियोग के बारे में अपीलार्थी या उसके वकील को कोई सूचना दिए बिना-यह दिखाने के लिए आक्षेपित निर्णय में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। 34 लागू था-कोई भी तथ्य दर्ज नहीं किया गया था कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि चार अभियुक्तों, जिन्हें अंततः दोषी ठहराया गया था, ने एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कार्य किया था-अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य के अवलोकन पर, सामान्य इरादे की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं था जो एस का आवश्यक घटक है। 34 – केवल मृतक को रोकने का कार्य अपने आप में मामले को एस के दायरे में नहीं लाएगा। 34 – मृतक पर हमले में किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा अपीलार्थी के लिए जिम्मेदार कोई स्पष्ट कार्य नहीं-मन की पूर्व बैठक का अनुमान लगाना कठिन पंथ है-सामान्य उद्देश्य और सामान्य इरादे के बीच कोई ओवरलैप नहीं है-हालांकि, 762

[2023] 13 एस सी आर।

मृतक के शव को खींचने और उसे कुएं में फेंकने में अपीलार्थी द्वारा निभाई गई भूमिका पर चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य बहुत सुसंगत है-इस प्रकार, दंडनीय यू/एस के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए हर तरह का औचित्य है।²⁰¹ अपराध के साक्ष्य के गायब होने का कारण-अपीलार्थी की दोषसिद्धि यू/एस।^{302/ 34} हालाँकि, दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को अलग कर दें।²⁰¹ आश्वस्त किया जाता है-अपीलार्थी पहले ही सजा काट चुका है, जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।[पैरा 13-16,18-20]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973 -एस. 386** आरडब्ल्यू एस.**216** - दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील-आरोप को बदलने या जोड़ने की न्यायालय की शक्ति-अभियुक्त को बदलने या जोड़ने के लिए प्रस्तावित आरोप की सूचना-इसकी आवश्यकता:

आयोजित किया गया:एस द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों को देखते हुए।^{386 Cr.PC}, एक अपीलीय न्यायालय यू/एस की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।²¹⁶ आरोप को बदलने या जोड़ने का-स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के लिए अपीलीय न्यायालय से अभियुक्त को प्रस्तावित आरोप के नोटिस में डालने की आवश्यकता होती है जब तक कि आरोप में बदलाव या आरोप जोड़ने से अभियुक्त पर पूर्वाग्रह होने की संभावना हो-जब तक कि अभियुक्त को यह नोटिस नहीं दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय एक विशेष तरीके से आरोप को बदलने या जोड़ने का इरादा रखता है, तब तक उसका वकील मामले पर प्रभावी ढंग से बहस नहीं कर सकता है-अदालत प्रस्तावित परिवर्तन या आरोप को जोड़ने की सूचना दे सकती है, यहां तक कि जब अपील की सुनवाई हो रही हो तो अभियुक्त या उसके वकील को मौखिक रूप से सूचित करके भी-अदालत दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को परिवर्तित या अतिरिक्त आरोप पर अदालत को संबोधित करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय दे सकती है।[पैरा 12]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

माला सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2019) 5 एससीसी 127:[2019] 3 एस. सी. आर. 932;
चित्तरमाल बनाम राजस्थान राज्य (2003) 2 एस. सी. सी. 266:[2003] 1 एस. सी. आर. 49-
संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2011 की आपराधिक अपील सं. 1209।

1992 के सी. आर. एल. ए. सं. 992 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 01.12.2004 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

डी. एस. नायडू, वरिष्ठ अधिवक्ता, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, सुश्री कोमल मुंद्रा, विनय आनंद वर्धन, सुश्री दिव्या नारायण, सौरभ अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सनी चौधरी, अभिमन्यु सिंह, करण बिश्रोई, पृथ्वी राज सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय
का
निर्णय/आदेश
निर्णय

अभय एस. ओका, जे. फैक्टुअल एस्पेक्ट्स

1. यह अभियुक्त नं. 2 जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी. ') की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था। पहले अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 201 के अंतर्गत दूसरे अपराध के लिए, उन्हें पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. ट्रिपल मर्डर के अपराध के लिए 17 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था। 17 अभियुक्तों में से विचारण न्यायालय ने अभियुक्त एन. ओ. एस. को बरी कर दिया। 3 से 8, 10, 13, 15 और 17। विचारण न्यायालय ने आरोपी एन. ओ. एस. को दोषी ठहराया। 2, 9, 11, 12 और 16 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 और 149 और धारा 201 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए। अभियुक्त सं॥ 11 और 14 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। निचली अदालत ने किसी भी आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय नहीं किया। उच्च न्यायालय ने आरोपी एन. ओ. एस. को बरी कर दिया। 9, 11 और 12।

3. आरोप उमा प्रसाद, विनोद कुमार और मुनाऊ उर्फ अनंत किशोर खरे की तीन हत्याओं का था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 2 जून 1987 को विनोद कुमार अपने भाई मुनाऊ को इलाज के लिए स्कूटर से गांव नौगांव ले गया था। जब वे शाम 5 बजे तक नहीं लौटे तो उमा प्रसाद खरे (मृतक), जो विनोद कुमार खरे और मुनाऊ के पिता थे, ने नवल किशोर (पीडब्लू-1) और मनुआ चामेर (पीडब्लू-2) को प्रतिनियुक्त किया।

[2023] 13 एस सी आर।

अपने बेटों को खोजने के लिए। पीडब्लू-1 नवल किशोर उमा प्रसाद के भतीजे थे। यहाँ तक कि उमा प्रसाद ने भी विनोद कुमार और मुनाऊ खरे की तलाश शुरू कर दी। जब वे हनुमान मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि आरोपी मंदिर के पास हथियारों और अन्य हथियारों जैसे फरसा, कुल्हाड़ी और बल्लम के साथ इकट्ठा हुए थे। अपीलार्थी-अभियुक्त सं। 12 और अभियुक्त नं। 16 भाला से लैस थे। भूमिका अभियुक्त सं। 12 और 16 यह है कि उन्होंने उमा प्रसाद को रोक दिया। नतीजतन, वह अपनी साइकिल से गिर गया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी एन. ओ. एस. 3, 5 और 7 (बरी) ने अन्य अभियुक्तों को उमा प्रसाद को टुकड़ों में काटने के लिए प्रोत्साहित किया। अभियुक्त एन. ओ. एस. 1, 7, 9 और 11 (बरी) ने पीडब्लू-1 नवल किशोर और पीडब्लू-2 मनुआ पर अपनी बंदूकें तानीं और उन्हें हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा। उमा प्रसाद पर हमला करने और उनकी हत्या करने का कृत्य कथित तौर पर आरोपी नं. 1 और अभियुक्त नं. 14.

4. अपीलार्थी के खिलाफ एक अन्य आरोप यह है कि बरी किए गए अभियुक्त नं. 6, वह, अभियुक्त सं. 11, मृतक उमा प्रसाद के शव को घसीट कर एक कुएं में फेंक दिया।

5. अभियोजन पक्ष का आगे आरोप है कि उमा प्रसाद की हत्या करने के बाद सभी आरोपी विनोद कुमार खरे और मुनाऊ खरे की हत्या करने के इरादे से बस स्टैंड की ओर चले गए। यह आरोप लगाया जाता है कि लगभग 15 मिनट के बाद, दो बंदूकों की आवाज सुनी गई, और यह आरोप लगाया जाता है कि विनोद कुमार खरे और मुनाऊ खरे मारे गए थे। जहाँ तक इन दोनों व्यक्तियों की हत्या के आरोप का संबंध है, विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय का वह हिस्सा अमान्य हो गया है।

6. अभियुक्त नं. द्वारा एक संयुक्त अपील दायर की गई थी। 1, वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 12 और अभियुक्त नं. 16. अन्य अभियुक्तों द्वारा अलग-अलग अपीलें की गईं। आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार करते हुए, आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने आरोपी एन. ओ. एस. को बरी कर दिया। 9, 11 और 12। उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी और अभियुक्त एन. ओ. एस. की अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात कर लिया। 1, 14 और 16 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 और/या भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के साथ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ उनकी दोषसिद्धि को प्रतिस्थापित करके। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी।

7. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नहीं। 2012 का 876 अभियुक्त सं॥1 खारिज कर दिया गया क्योंकि उक्त अभियुक्त ने आत्मसमर्पण का प्रमाण नहीं दिया था।विशेष 765 की बहाली के लिए आवेदन

चंद्र प्रताप सिंह बनाम एम. पी. राज्य [अभय एस. ओका, जे.] 766

अवकाश याचिका भी खारिज कर दी गई थी।ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी नं.14 और 16 ने इस न्यायालय में कोई अपील नहीं की।हो सकता है कि उन्होंने पूरी सजा झेली हो।

प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का पहला निवेदन यह है कि जब उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए अपील बुलाई गई थी तो अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व उसके वकील ने नहीं किया था।आक्षेपित निर्णय के कारण शीर्षक में, अपीलार्थी के वकील की अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया है।इसके अलावा, निर्णय किसी भी आरोपी की ओर से की गई किसी भी प्रस्तुति का उल्लेख नहीं करता है।इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने उनके वकील की अनुपस्थिति में अपील की सुनवाई के साथ आगे बढ़कर एक घोर अवैधता की है।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि माला सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि समान इरादे का कोई सबूत नहीं था, जो भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक था। इसके अलावा, अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस में रखा जाना चाहिए था कि वह धारा 34 को लागू करने के लिए आरोप को संशोधित करने का इरादा रखता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के तत्व साबित नहीं हुए थे, आरोप में बदलाव से अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।अतः, अपीलार्थी बरी होने का हकदार है।

10. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 (संक्षेप में 'Cr.PC') के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील में, जब अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय के पास आरोप को बदलने या जोड़ने की शक्ति है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के तत्वों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने ऑफ-एनस की गंभीरता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

[2023] 13 एस सी आर।

दलीलों पर विचार

11. पहला मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किया गया था, क्योंकि उसकी अपील पर उसके वकील की अनुपस्थिति में सुनवाई की गई थी। निर्णय के कारण शीर्षक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिवक्ता अनुपस्थित था। अपीलार्थी और दो अन्य लोगों (अनुलग्नक पी-3) द्वारा प्रस्तुत अपील के आदेश पत्र में अभिलेख है कि 26 अक्टूबर 2004 को जब अपीलार्थी और दो अन्य लोगों द्वारा दायर अपील को वापस लिया गया था, तो अपीलार्थी का वकील उपस्थित था। अपील पर 23 नवंबर 2004 को सुनवाई हुई थी। उस तारीख के आदेश पत्र में अभिलेख किया गया है कि अपीलार्थी का वकील अनुपस्थित था। इसमें यह भी कहा गया है कि दलीलें सुनी गईं और निर्णय सुरक्षित रखा गया था। आक्षेपित निर्णय अपीलार्थी की ओर से प्रचार किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण का उल्लेख नहीं करता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी या उसके वकील को सुने बिना अपीलार्थी द्वारा दी गई दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का निर्णय करके अवैधता की है। अपीलार्थी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के बाद, उच्च न्यायालय को अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए था।

12. आई. डी. 1 की धारा 386 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, एक अपीलीय न्यायालय भी आरोप को बदलने या जोड़ने की धारा 216 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालाँकि, यदि अपीलीय न्यायालय ऐसा करने का इरादा रखता है, तो प्राकृतिक न्याय के प्रारंभिक सिद्धांतों के लिए अपीलीय न्यायालय से अभियुक्त को उस प्रस्तावित आरोप के नोटिस में डालने की आवश्यकता होती है जिसे बदला जाना है या जोड़ा जाना है जब आरोप में परिवर्तन या जोड़ से अभियुक्त पर पूर्वाग्रह होने की संभावना होती है। जब तक अभियुक्त को यह सूचित नहीं किया जाता कि अपीलीय न्यायालय एक विशेष तरीके से आरोप को बदलने या जोड़ने का इरादा रखता है, तब तक उसका वकील प्रभावी रूप से मामले में बहस नहीं कर सकता है। केवल तभी जब अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय द्वारा सूचित किया जाता है कि आरोप को एक विशेष तरीके से बदलने का इरादा है, तो उसका वकील प्रभावी रूप से तर्क दे सकता है कि परिवर्तित आरोप भी साबित नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में, अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वह अपीलार्थी को यह सूचित करे कि उसका इरादा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से उसे दोषी ठहराना है, जिसके लिए आरोप नहीं विरचित गया था। हम यहां यह भी जोड़ सकते हैं कि न्यायालय अपील की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभियुक्त या उसके वकील को सूचित करके भी प्रस्तावित परिवर्तन या आरोप को जोड़ने की सूचना दे सकती है। किसी मामले में, न्यायालय दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को परिवर्तित

या अतिरिक्त आरोप पर न्यायालय को संबोधित करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय दे सकता है।

चंद्र प्रताप सिंह बनाम एम. पी. राज्य [अभय एस. ओका, जे.] 768

767

13. मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी का वकील सुनवाई की तारीख पर अनुपस्थित था। इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए अपीलार्थी के वकील को यह नोटिस देने का कोई अवसर नहीं था कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 और/या 149 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत आरोप को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत आरोप में बदलने का प्रस्ताव किया गया था। इसलिए, अपीलार्थी या उसके वकील को आरोप के बारे में कोई सूचना दिए बिना आरोप में बदलाव करके अपीलार्थी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया है। इसका कारण यह है कि अभियुक्त को यह तर्क देने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था कि सामान्य इरादे के अस्तित्व को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था, जो भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 का आवश्यक घटक है। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1 नंद किशोर और पीडब्लू-2 मनुआ के साक्ष्य का व्यापक रूप से उल्लेख किया है। हालांकि, पूरे निर्णय में यह उल्लेख नहीं है कि न्यायालय दर्ज किए गए कारणों से आरोप में बदलाव कर रही थी। आई. डी. 1 की धारा 216 की उप-धारा (4) के संदर्भ में कोई निर्णय दर्ज नहीं किया गया है कि आरोप का प्रस्तावित परिवर्तन अभियुक्त के बचाव में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

14. आक्षेपित निर्णय में यह दिखाने का कोई कारण दर्ज नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू थी। निर्णय में इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं की गई है। केवल कार्यात्मक भाग (पैरा 15) में, कोई कारण बताए बिना, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी था। जैसा कि पहले कहा गया है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए किसी भी कारण का पूर्ण अभाव है कि आईपीसी की धारा 34 को आकर्षित किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को दर्ज नहीं किया है कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि जिन चार अभियुक्तों को अंततः दोषी ठहराया गया था, उन्होंने एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कार्य किया था।

15. जाहिर है, निचली अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 की सहायता से अपीलार्थी को धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने को कायम नहीं रखा जा सका। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 141 के अनुसार, गैरकानूनी सभा पांच या अधिक व्यक्तियों की होनी चाहिए। जैसा कि उच्च न्यायालय ने केवल चार लोगों की दोषसिद्धि को स्वीकार किया और अन्य सभी को बरी कर दिया, गैरकानूनी सभा का अपराध नहीं बनाया गया था, और इसलिए, धारा 148 और 149 के अंतर्गत अपराध नहीं बनाए गए थे।

16. सामान्य तौर पर, हम अपील को इस आधार पर नई सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में भेज देते कि अपीलार्थी को संशोधित आरोप पर दोषसिद्धि स्वीकार करने से पहले नहीं सुना गया था। हालांकि,

/

[2023] 13 एस सी आर।

हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह घटना 1987 की है और वर्तमान अपील 2011 की है। इसलिए रिमांड का आदेश पारित करना अन्याय होगा। इसलिए, हमने अभिलेख पर साक्ष्य की जांच की है।

17. चित्तौड़मल बनाम राजस्थान राज्य **2** के मामले में, इस न्यायालय ने सुनवाई की।

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 में आरोप के रूपांतरण के साथ। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 14 इस प्रकार है:

“14. यह निर्णयों के एक समूह द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 34 के साथ-साथ धारा 149 रचनात्मक आपराधिकता के लिए दायित्व यानी दूसरों के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति के प्रत्यावर्ती दायित्व से संबंधित है। दोनों अनुभाग उन व्यक्तियों के संयोजन से संबंधित हैं जो एक हिस्सेदार के रूप में दंडनीय हो जाते हैं। इस प्रकार वे एक निश्चित समानता रखते हैं और कुछ के लिए हो सकता है

सीमा ओवरलैप। लेकिन सामान्य इरादे और सामान्य उद्देश्य के बीच एक स्पष्ट अंतर किया जाता है, जिसमें सामान्य इरादे एक साथ कार्रवाई को दर्शाते हैं और आवश्यक रूप से मन की पूर्व बैठक का संकेत देने वाली एक पूर्व-व्यवस्थित योजना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए आवश्यक रूप से मन की पूर्व बैठक या पूर्व-विचार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि दोनों धाराओं के बीच पर्याप्त अंतर है, वे कुछ हद तक अतिव्यापी भी हैं और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न है कि क्या धारा **149** के अंतर्गत आरोप धारा **34** द्वारा कवर किए गए आधार को अतिव्यापी करता है। इस प्रकार, यदि कुछ या उससे अधिक संख्या वाले कई व्यक्ति एक कार्य करते हैं और उसे करने का इरादा रखते हैं, तो धारा **34** और धारा **149** दोनों लागू हो सकती हैं। यदि सामान्य उद्देश्य में आवश्यक रूप से एक सामान्य इरादा शामिल नहीं है, तो धारा **149** के लिए धारा **34** के प्रतिस्थापन का परिणाम अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह हो सकता है और इसलिए,

अनुमति दी जाए। लेकिन अगर इसमें एक सामान्य इरादा शामिल है तो धारा 149 के लिए धारा 34 के प्रतिस्थापन को एक औपचारिक मामला माना जाना चाहिए। इस तरह का सहारा लिया जा सकता है या नहीं, यह निर्भर करना चाहिए।

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर। इसलिए, धारा **149** की गैर-प्रयोज्यता भारतीय दंड संहिता सी. की धारा **34** के साथ पठित धारा **302** के अंतर्गत अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में कोई बाधा नहीं है, यदि साक्ष्य उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में अपराध करने का खुलासा करता है।

2 (2003) 2 एस. सी. सी. 265 769

चंद्र प्रताप सिंह बनाम एम. पी. राज्य [अभय एस. ओका, जे.] 770

(देखें बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट [ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 1:26 क्रि एल. जे. 431], मन्नम वेंकटदारी बनाम ए. पी. राज्य [(1971) 3 एस. सी. सी. 254:

1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 479:ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1467], नेथला पोथुराजु बनाम ए. पी. राज्य [(1992) 1 एस. सी. सी. 49:1992 एससीसी (सीआरआई) 20:ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2214] और राम ताहल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1972) 1 एस. सी. सी. 136:1972 एससीसी (सीआरआई) 80:ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 254]) "

(जोर दिया गया) 18. हमने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। साझा इरादे की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है। केवल मृतक उमा प्रसाद को रोकने का कार्य ही मामले को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के दायरे में नहीं लाएगा। मृतक उमा प्रसाद पर हमले में किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में मन की पूर्व बैठक का अनुमान लगाना मुश्किल है। सामान्य इरादे के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है जो भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 का आवश्यक घटक है। इस मामले में, एक सामान्य वस्तु और एक सामान्य इरादे के बीच कोई ओवरलैप नहीं है। इसलिए, धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार करना होगा।

19. हालांकि, दो चश्मदीद गवाहों (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) का साक्ष्य मृतक के शव को खींचने और उसे कुएं में फेंकने में अपीलार्थी द्वारा निभाई गई भूमिका पर बहुत सुसंगत है। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 दोनों के इस पहलू पर शायद ही कोई प्रतिपरीक्षा हो। इसलिए, अपराध के साक्ष्य के गायब होने के कारण भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए हर तरह का औचित्य है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 201 के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखना होगा। इस अपील अभिलेख में 20 अप्रैल 2012 को पारित आदेश में कहा गया है कि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था क्योंकि वह लगभग नौ साल तक जेल में रहा था। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 201 के अंतर्गत अपराध के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे वह पहले ही भुगत चुका है।

20. इसलिए, अपील आंशिक रूप से सफल हो जाती है। हम भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार करते हैं। हालाँकि, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी ने

/

[2023] 13 एस सी आर।

पहले से ही उक्त अपराध के लिए सजा काट चुके हैं। इसलिए, अपीलार्थी के जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

21. उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुज्ञात है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

निधि जैन